



डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

प्रलिस के लिये:

[इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन](#) (EVM), [डाक मतपत्र](#), [नरिवाचन आयोग](#) (EC), रटिर्नगि ऑफिसर (RO), मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिटि ट्रेल्स (VVPATs), [मुख्य नरिवाचन अधिकारी](#), बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)।

मेन्स के लिये:

एक मज़बूत, स्वतंत्र और नषिपक्ष नरिवाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों](#) तथा [डाक मतपत्रों](#) की सुरक्षा की आवश्यकता।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने [स्ट्रॉन्ग रूम में डाक मतपत्रों में हेर-फेर](#) और [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों](#) (EVM) की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए राज्य के [मुख्य नरिवाचन अधिकारी](#) के पास शिकायत दर्ज कराई है।

- हालाँकि ज़िला नरिवाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहायक रटिर्नगि अधिकारी ने [मतपत्रों की छँटाई के लिये स्ट्रॉन्ग रूम खोला था](#), न कि वोटों की गनिती के लिये और यह उन्होंने संबद्ध प्रतनिधियों को पूरव सूचना देने के पश्चात् ही किया था।

डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या हैं?

डाक मतपत्र:

- डाक मतपत्र सैनिक मतदाताओं, अनुपस्थिति मतदाताओं (जैसे कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, दवियांगजन अथवा कोवडि-19 से प्रभावित लोगों), चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता, और नवारिक हरिसत के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के लिये मतदान विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- रटिर्नगि ऑफिसर (RO) आवश्यक फॉर्म भर चुके पात्र व्यक्ति को मेल के माध्यम से तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को सुवधि केंद्र पर डाक मतपत्र प्रदान करता है।

EVM की जाँच तथा संग्रहण:

- मतदान केंद्रों पर पहुँचने से पूरव EVM को एक नश्चिति प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है। प्रथम-स्तरीय जाँच और यादृच्छिकीकरण अभ्यास पूरा होने के बाद अगस्त 2023 में जारी नरिवाचन आयोग के नवीनतम मैनुअल में उल्लिखित दिशा-नरिदेशों का पालन करते हुए इन मशीनों को रटिर्नगि अधिकारियों को सौंप दिया जाता है।
- मतदान समाप्त होने के पश्चात्, EVM और मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिटि ट्रेल्स (VVPAT) को संग्रह अथवा रसिपशन केंद्रों पर वापस ले जाया जाता है जहाँ उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है।
- नरिवाचन आयोग की नयिमावली के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी देना अनवारिय है तथा सुरक्षा व्यवस्था की नगरानी के लिये उन्हें अपने प्रतनिधियों को भेजने की अनुमति होती है।

EVMs के सुरक्षा उपाय और भंडारण:

- EVMs के परविहन में सशस्त्र सुरक्षा और वातानुकूलित स्ट्रॉन्ग रूम में भंडारण सहित कड़े सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- ये स्ट्रॉन्ग रूम मतदान के दिन तक EVMs के लिये एक सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित होती है।
- राजनीतिक दल के प्रतनिधि इस भंडारण प्रक्रिया की देख-रेख में भूमिका निभाते हैं, जिससे चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता की एक अतरिकित परत जुड़ जाती है।

डाक मतपत्र और अनुपस्थिति मतदाताओं के लिये क्या प्रक्रिया है?

- **डाक मतपत्रों की प्रक्रियाएँ:**
 - चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, डाक मतपत्रों को संभालने वाले सुविधा केंद्र प्रभारी को पार्टी और उम्मीदवार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम ड्रॉप बॉक्स खोलना आवश्यक है।
 - प्रत्येक नरिवाचन क्षेत्र के मतपत्रों को एक बड़े लफाफे या सूती बैग में रखा जाता है और फरि प्रत्येक मतदान दविस के अंत में रटिरनगि ऑफिसर (RO) को भेजा जाता है।
 - RO इन बैगों को अपने कबूजे में लेता है और उन्हें एक नरिदषिट "वशिष स्ट्रॉंग रूम" में सुरक्षति रूप से संग्रहीत करता है।
- **अनुपस्थति मतदाता:**
 - अनुपस्थति मतदाताओं के लयि बूथ स्तर के अधकरी (BLO) मतदाताओं के घरों तक मतपत्र पहुँचाते हैं। BLO चुनाव अधसूचना के पाँच दनिों के भीतर भरे हुए फॉर्म लेने के लयि लौटते हैं और उन्हें RO के पास प्रतदिनि जमा करते हैं।
 - अनुपस्थति मतदाताओं के बीच आवश्यक सेवा कर्मी वशिष डाक मतदान केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं, जो मतदान दविस से पहले लगातार तीन दनिों तक मतदान करा सकते हैं। इन केंद्रों से डाक मतपत्रों के पैकेट प्रत्येक दनि के अंत में RO को भेजे जाते हैं।
- **डाक मतपत्रों के लयि सुरक्षति संचालन और गनिती की तैयारी:**
 - ऐसे मामलों में जहाँ वोटों की गनिती RO के मुख्यालय के अलावा कसिी अन्य स्थान पर की जानी है, गनिती से एक दनि पहले डाक मतपत्रों को मतगणना केंद्र के दूसरे स्ट्रॉंग रूम में स्थानांतरति कर दया जाता है।
 - यह प्रक्रया सावधानीपूर्वक चुनावी दशिा-नरिदेशों के अनुपालन में डाक मतपत्रों के लयि सुरक्षति संचालन, दस्तावेजीकरण और अंतमि गनिती सुनशिचति करती है।

वोटर वेरफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT):

- VVPAT एक स्वतंत्र सत्यापन प्रटिर मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटगि मशीन से जुड़ी होती है। यह मतदाताओं को यह सत्यापति करने में मदद करती है कि उनका वोट उनके इच्छति उम्मीदवार को गया है या नहीं।
- जब कोई मतदाता EVMs में बटन दबाता है तो VVPAT के माध्यम से एक कागज़ की पर्ची छपती है। पर्ची में उम्मीदवार का चुनाव चहिन और नाम होता है। यह मतदाता को अपनी पसंद सत्यापति करने में मदद करता है।
- VVPAT के काँच के केस से मतदाता को सात सेकंड तक दिखाई देने के बाद पर्ची VVPAT मशीन में बने ड्रॉप बॉक्स में डाल दी जाती है और एक ध्वनि सुनाई देती है।
- VVPAT मशीनों तक केवल मतदान अधकरी की पहुँच होती है।

EVMs को सुरक्षति करने के वभिनिन उपाय क्या हैं?

- **कार्यात्मक जाँच:** मशीनों के पछिले परणाम को हटा दया जाता है। कृषतगिरसूत स्वचि, बटन, कनेक्शन और सील की जाँच की जाती है।
- **यादृच्छकि जाँच:** मतदान के लयि उपयोग की जाने वाली कुल EVMs की 5% संख्या पर मॉक पोल आयोजति कया जाता है। लगभग 1,000 वोट डाले जाते हैं और परणाम के प्रटिआउट वभिनिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा कये जाते हैं।
- **EVM वतिरण में यादृच्छकिता:** EVMs को नरिवाचन क्षेत्रों और बूथों पर बेतरतीब ढंग से रखा जाता है और यह पहचानना मुश्कलि होता है कि कौन सी मशीन कहाँ रखी है। पहले दौर के दौरान EVMs को एक नरिवाचन क्षेत्र में यादृच्छकि रूप से आवंटति कया जाता है। और दूसरे दौर में उन्हें यादृच्छकि रूप से मतदान केंद्र पर आवंटति कया जाता है।
- **पूर्वाभयास:** वास्तवकि मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थति में कम-से-कम 50 वोटों के साथ मतदान अभयास का आयोजन कया जाता है।
 - फरि मॉक पोल बंद कर दया जाता है और परणाम प्रदर्शति कये जाते हैं। मतदान के दनि मतदान एजेंटों, पर्यवेक्षकों और केंद्रीय अर्दधसैनकि बलों द्वारा वभिनिन प्रकार की जाँच की जाती है।
- **सुरक्षति और संरक्षति:** EVM को उनके कैरी केस में रखा जाता है और सील कर दया जाता है। मशीनों को सशस्त्र अनुरक्षण के तहत रसिप्शन सेंटर में वापस ले जाया जाता है और स्ट्रॉंग रूम में रखा जाता है।
- **मौजूदा VVPAT सत्यापन दर को बढ़ाना:** मौजूदा VVPAT सत्यापन दर को प्रत विधानसभा नरिवाचन क्षेत्र या खंड में एक से बढ़ाकर पाँच यादृच्छकि EVM तक करने के [सर्वोच्च नयायालय](#) के आदेश, EVM के माध्यम से गणना की अखंडता के बारे में संदेह करने वालों को आश्वस्त करने का प्रयास है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

- भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
- चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविादों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

?????:

प्रश्न.आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/postal-ballots-and-evms>

